अकांक्षा यादव

भारतीय संस्कृति की अस्मिता की पहचान है हिन्दी

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।

भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिये हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मनुष्य के व्यवहार, विचार एवं जीवन जीने का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। भाषा आभ्यन्तर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं वह हमारे आभ्यन्तर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परम्परा से विच्छिन्न है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से प्रमुख 'हिन्दी' भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी हमारी आत्मा में बसती है, हिंदी हमारे संस्कारों में बसती है, हिंदी हमारी संस्कृति में बसती है और हिंदी ही हमारी पहचान की बुनियाद है।

हिन्दी जिसके मानकीकृत रूप को मानक हिन्दी कहा जाता है, विश्व की एक प्रमुख भाषा है और भारत की एक राजभाषा है। केन्द्रीय स्तर पर भारत में सह-आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यह हिन्दुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी–फ़ारसी शब्द कम हैं। हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। एथनोलॉग के अनुसार हिन्दी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, वहीं विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की दस शक्तिशाली भाषाओं में से एक है।

हिन्दी भारतीय संस्कृति की अस्मिता की पहचान है। हिन्दी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। 'सिंधु' सिंध नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आस-पास की भूमि को सिन्धु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर 'हिंदू', हिंदी और फिर 'हिंद' हो गया। वस्तुत: ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता में 'स्' ध्वनि नहीं बोली जाती थी। 'स्' को 'ह्' रूप में बोला जाता था। अफ़ग़ानिस्तान के बाद सिंधु नदी के इस पार हिंदुस्तान के पूरे इलाके को प्राचीन फ़ारसी साहित्य में भी 'हिंद', 'हिंदुश' के नामों से पुकारा गया है तथा यहाँ की किसी भी वस्तु, भाषा, विचार को विशेषण के रूप में 'हिन्दीक' कहा गया है जिसका मतलब है 'हिन्द का'। यही 'हिन्दीक' शब्द अरबी से होता हुआ ग्रीक में 'इन्दिके', 'इन्दिका', लैटिन में 'इन्दिया' तथा अंग्रेज़ी में 'इण्डिया' बन गया। अरबी एवं फ़ारसी साहित्य में भारत (हिंद) में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए 'ज़बान-ए-हिन्दी', पद का उपयोग हुआ है।

भारत आने के बाद अरबी-फारसी बोलने वालों ने 'ज़बान-ए-हिंदी', 'हिंदी ज़बान' अथवा 'हिंदी' का प्रयोग दिल्ली-आगरा के चारों ओर बोली जाने वाली भाषा के अर्थ में किया। भारत के गैर-मुस्लिम लोग तो इस क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा-रूप को 'भाखा' नाम से पुकारते थे, 'हिंदी' नाम से नहीं। 'देशी', 'भाखा' (भाषा), 'देशना वचन' (विद्यापति), 'हिन्दवी', 'दक्खिनी', 'रेख्ता', 'आर्यभाषा' (दयानन्द सरस्वती), 'हिन्दुस्तानी', 'खड़ी बोली', 'भारती' आदि हिन्दी के अन्य नाम हैं जो विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डों में एवं विभिन्न सन्दर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। हिन्दी, यूरोपीय भाषा-परिवार के अन्दर आती है। ये हिन्द ईरानी शाखा की हिन्द आर्य उपशाखा के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय हिन्दी भाषा हुई। कबीर की निर्गुण भक्ति एवम् भक्ति काल के सूफी-संतों ने हिन्दी को काफी समृद्ध किया। कालांतर में मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की अवधी में रचना कर हिन्दी को और भी जनप्रिय बनाया। अमीर ख़ुसरो ने इसे 'हिंदवी' गाया तो हैदराबाद के मुस्लिम शासक कुली कुतुबशाह ने इसे 'जबाने हिन्दी' बताया। स्वतंत्रता तक हिन्दी ने कई पड़ावों को पार किया व दिनों-ब-दिन और भी समृद्ध होती गई। आज संसार भर में लगभग 5000 भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। उनमें से लगभग 1652 भाषाएँ व बोलियाँ भारत में सूचीबद्ध की गई हैं जिनमें 63 भाषाएँ अभारतीय हैं। चूँकि इन 1652 भाषाओं को बोलने वाले समान अनुपात में नहीं हैं अतः संविधान की आठवीं अनुसूची में 18 भाषाओं को शामिल किया गया जिन्हें देश की कुल जनसंख्या के 91 प्रतिशत लोग प्रयोग करते हैं। इनमें भी सर्वाधिक 46 प्रतिशत लोग हिन्दी का प्रयोग करते हैं अतः हिन्दी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा को रूप में वरीयता दी गयी। हिन्दी और उर्दू दोनों को मिलाकर हिन्दुस्तानी भाषा कहा जाता है। हिन्दुस्तानी मानकीकृत हिन्दी और मानकीकृत उर्दू के बोलचाल की भाषा है। इसमें शुद्ध संस्कृत और शुद्ध फ़ारसी-अरबी दोनों के शब्द कम होते हैं और तद्भव शब्द अधिक। जिस हिन्दी में अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी के शब्द लगभग पूरी तरह से हटा कर तत्सम शब्दों को ही प्रयोग में लाया जाता है, उसे "शुद्ध हिन्दी" या "मानकीकृत हिन्दी" कहते हैं।

आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। वह हिंदी गद्य के एक महान लेखक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य में विशेष योगदान दिया इसके कारण ही इनको आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। अंग्रेजी काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय हिन्दी के विकास में एक नयी चेतना आयी। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के समय महात्मा गाँधी सहित अनेक नेताओं ने भारतीय एकता के लिये हिन्दी के विकास का समर्थन किया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के प्रयासों से हिन्दी को एक नयी ऊँचाई मिली। भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। भारत में 14 सितम्बर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा बनी। चूंकि हिन्दी को संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, इसीलिए भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया है । अतः भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची है। अनुच्छेद 351, एक निर्देशात्मक आदेश में कहा गया है कि हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देना सरकार का कर्तव्य है।

भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलन में हैं, लेकिन इनमें से 22 भाषाओं को ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें 1950 में 14 भाषाएं – हिंदी, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, असमिया, बांग्ला, पंजाबी, उड़िया, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, और मलयालम इस अनुसूची में शामिल थीं, जबकि 1967 में सिंधी भाषा को इस अनुसूची में शामिल किया गया। इसी तरह 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इस अनुसूची का हिस्सा बनीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 यह संरक्षण प्रदान करता है कि भारत के नागरिकों के एक हिस्से को अलग भाषा, लिपि या संस्कृति अपनाने का अधिकार है। भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत की वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 57.1% भारतीय जनसंख्या हिन्दी जानती है, जिसमें से 43.63% भारतीय लोगों ने हिन्दी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित किया था। हिन्दी और इसकी बोलियाँ सम्पूर्ण भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में 14 करोड़ 10 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू, व्याकरण के आधार पर हिन्दी के समान है, एवं दोनों ही हिन्दुस्तानी भाषा की परस्पर-सुबोध्य रूप हैं। एक विशाल संख्या में लोग हिन्दी और उर्दू दोनों को ही समझते हैं। भारत में हिन्दी, विभिन्न भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषाओं और क्षेत्र की बोलियों का उपयोग करने वाले लगभग 1 अरब लोगों में से अधिकांश की दूसरी भाषा है। हिन्दी भारत में सम्पर्क भाषा का कार्य करती है और कुछ हद तक पूरे भारत में सामान्यतः एक सरल रूप में समझी जानेवाली भाषा है। वर्तमान में हिंदी में आम बोलचाल और सरकारी कामकाज में इस्तेमाल शब्द-भंडार पिछले 20 वर्षों में 7.5 गुना बढ़ा है। शब्दों की संख्या 20,000 से बढ़ कर 1.5 लाख पहुंच चुकी है। ये शब्द उन अनुमानित 6.5 लाख शब्दों की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के अतिरिक्त हैं, जिनमें कि विज्ञान और मानविकी की सभी शाखाएं सम्मिलित हैं और इन सबको मिला कर हिंदी का व्यापक शब्द-भंडार बनता है। हिंदी मात्र भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की विरासत को अपने में संजोए हमारे सांस्कृतिक गौरव, एकता व अखंडता की पहचान है, जो अखण्ड राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है।

हिंदी ने कई उतार-चढ़ाव देखे फिर भी हिंदी देश एवं दुनिया में सतत आगे बढ़ती जा रही है। आज हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार विश्व के तमाम देशों में हो चुका है। जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि उसके बोलने-समझने वालों की संख्या संसार में तीसरी है। विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निष्पादित करते हैं। एशियाई संस्कृति में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशियाई भाषाओं से अधिक एशिया की प्रतिनिधि भाषा है। विदेशों विश्वविद्यालयों ने इसे एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में अपनाया है। आज 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। आज हिन्दी भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, नेपाल बांग्लादेश, इराक, इंडोनेशिया, इजरायल, ओमान, फिजी, इक्वाडोर, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस, ग्वाटेमाला, सउदी अरब, पेरू, रूस, कतर, म्यंमार, त्रिनिदाद-टोबैगो, यमन इत्यादि देशों में जहाँ लाखों अनिवासी भारतीय व हिन्दी-भाषी हैं, में भी बोली जाती है। मॉरीशस, त्रिनिदाद-टोबैगो, सूरीनाम, गुयाना, फीजी, द. अफ्रीका जैसे देशों में 'गिरमिटिया' के रूप में गए भारतीय अपनी संस्कृति व हिन्दी को सहेजना चाह रहे हैं। स्पष्ट है कि हिन्दी आज दूसरे देशों में भी अपनी कीर्ति-पताका फहरा रही है। एथ्नोलॉग (2022, 25वां संस्करण) की रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में हिंदी को प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर हिंदी विश्व की की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।

वैश्विक स्तर पर एवं देश में भी हिन्दी का विस्तार काफी हो रहा है लेकिन दूसरी ओर स्कूली शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा के स्तर पर हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाएँ सिकुड़ती जा रही है।

हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषायी माध्यम के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। किसी भी भाषा के संरक्षण हेतु उस भाषा में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा का उपलब्ध होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने भी स्वीकार किया था कि मेरी विद्यालयीन शिक्षा मातृभाषा में हुई इसलिए मैं अच्छा वैज्ञानिक बना हूँ। वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया के जिन देशों ने अपनी मातृ भाषा को प्रोत्साहित किया, वह आज ज्यादा विकसित हैं। देश में शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण अब मातृभाषा में शिक्षा की स्थिति कमजोर हो रही है। प्राथमिक शिक्षा में फिर भी हिंदी या मातृभाषा का विकल्प है किन्तु उच्च शिक्षा में तो अंग्रेजी का कोई विकल्प छात्रों के समक्ष दिखाई नहीं देता है। भाषाई गुलामी किसी भी देश की सांस्कृतिक अस्मिता पर सर्वप्रथम हमला करती है। विश्व में विगत 40 वर्षों में लगभग 150 अध्ययनों के निष्कर्षों की मानें तो शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए क्योंकि बालक को माता के गर्भ से ही मातृभाषा के संस्कार प्राप्त होते हैं। ऐसे में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। भारत में 1968 में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर 2020 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक में भाषाओं विशेषकर मातृभाषा के संरक्षण की बात कही गई है। भारत में भाषाओं की विविधता इसे एक वैशिष्ट्य प्रदान करती है। त्रिभाषा फॉर्मूला के पीछे आरंभ से ही यही अवधारणा रही है कि मातृभाषा का ज्ञान सांस्कृतिक समन्वय कराएगा, हिन्दी राष्ट्रीय समन्वय कराएगी और अंग्रेजी लोगों को वैश्विक स्तर पर जोड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजी को हमने इतनी वरीयता दे दी कि मातृ भाषाएँ और हिंदी का काफी पीछे छूट गई।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाली तथा विभिन्न संस्कृतियों, विधाओं और कलाओं की त्रिवेणी है, जिसके साहित्य में समाज की विविधता, जीवन दृष्टि और लोक कलाएं संरक्षित हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम हिंदी को लेकर अपने अंदर से किसी भी प्रकार की हीनता का त्याग करें। हिन्दी गर्व और गौरव की भाषा है। विश्व की समृद्धतम भाषाओं में अग्रणी हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। यह हमें विविधता में एकत्व का बोध कराती है। अपनी भाषा बोलने और लिखने में संकोच का अनुभव न करें। अपनी भाषा बोलने से हमारा सम्मान बढ़ता है। दूसरों से आशा करने की बजाय ख़ुद से और अपने घर से शुरुआत करें। आइए, हम सब अपने लेखन एवं वार्तालाप में अपनी मातृभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का संकल्प करें, तभी हिंदी सर्वव्यापी होगी।

आकांक्षा यादव

पोस्टमास्टर जनरल आवास

बंगला नं.-.22 कैंटोनमेंट, शाही बाग, अहमदाबाद (गुजरात)-380004

मो09413666599-. ई-मेल :
akankshay1982@gmail.com